

## MECL Mediclaim Scheme for Retired Personnel - 2022

### 1.0 OBJECTIVES OF THE SCHEME:

To extend the Medical Benefits to the retired employees of MECL and their spouses.

### 2.0 PERSONS COVERED

- a) (i) Below Board Level Executives shall be covered in this scheme provided they have put in a minimum of 15 years of service rendered in continuity in CPSE(s) at the time of superannuation.  
(ii) The Board Level Executives shall be covered under the Post-Retirement Medical Scheme (without any linkage to provision of 15 years of service) upon completion of their tenure or upon attaining the age of retirement, whichever is earlier.
- b) The employees who have taken voluntary retirement and their spouses.
- c) The employees who cease to be in employment on account of permanent total disablement & their spouses.
- d) The spouse of an employee who dies in service.
- e) Employees who superannuated from the Company at the age of 60 years and their spouse.
- f) Those who have retired on or after 01.01.2007 shall be eligible to become member of this scheme.
- g) Employees who join on the regular rolls of the Company after resigning/lien from another CPSE provided the total of past service in CPSE and the service in the company, rendered in continuity till the date of normal superannuation is 15 years or more.

This scheme is optional and those who opt for this scheme are referred to as "members".

### 3. CONTRACT PERIOD

The tenure of the MECL Mediclaim Scheme for Retired Personnel shall be one year and shall be renewable every year subject to the affordability by the Company. (The date of introduction shall be notified separately by HR Department).

### 4. POLICY COVERAGE

- a) MECL Mediclaim Scheme shall include coverage of pre-existing diseases, no age bar for entering Medical membership and no restriction on enrolment/renewal of membership of ex-employee etc.
- b) The policy covers reimbursement of Hospitalization/Cashless Facility expenses within the prescribed limits under the policy for illness/diseases contracted or injury sustained by the insured person. In the event of any claim becoming admissible under the policy, the Insurance Company will pay to the insured member or Hospital, as the case may be, the amount of such expenses as reasonably and necessarily incurred anywhere in India. For the purpose of MECL Mediclaim Scheme the ex-employee and his/her spouse, to be treated as two distinct members.

#### • Benefits (Standard Coverage Ceilings):

Category	IPD	OPD
Retired Executive & Retired Non-Executive	Rs. 2.5 Lakh per member per year with clubbing facility with spouse i.e. Mediclaim of member and spouse can be clubbed subject to a maximum clubbed limit of Rs. 05 Lakhs/policy period.	NIL

- c) The above facility of cashless reimbursement to the retired employees shall extend to any part of India, subject to list of hospitals as indicated by the Insurance Company.
- d) The premium to include services offered by Third Party Administrator (TPA) system.
- e) Claim settlement - The claims under MECL Mediclaim Scheme are to be settled by the Insurance Company and recommended amount to be paid within 15 days of submission of all claim documents.
- f) In case of disputes of any claim, a committee comprising the representatives of the insurance company and MECL will be set-up to resolve the dispute. However, this arrangement does not preclude the members to approach the regulatory authorities.
- g) The retiring employees including their spouses who opt for Mediclaim membership shall be assigned a number by MECL HR Department, Corporate Office. These numbers shall be called Mediclaim Index Number (MIN).
- h) Once assigned the Mediclaim Policy for the year, the Insurance Company shall have no right to unilaterally terminate the operation of the policy in between.
- i) Insurance Company/TPA services being offered by the Insurance Co. should be able to provide a 24 x 7 telephone facility to cater to the members of MECL Mediclaim Scheme.

#### **5.0 MISUSE OF SCHEME:**

- a) Stringent action shall be taken against individuals found to be misusing the system/guilty of any fraudulent activity, viz., debarring member from Mediclaim membership, blacklisting hospitals, initiating suitable legal action etc., as deemed fit by MECL Management.

#### **6.0 YEARLY SUBSCRIPTION FEES (ANNUAL PREMIUM SHARE) TO BE PAID:**

- a) Member of the scheme shall bear 50% of the cost of annual premium by making upfront payment of 50% of Annual Premium (including GST as applicable) before start of coverage under policy period. The amount to be paid by the members shall be intimated by HR Department to the member/s before start of policy period. Remainder 50% of the cost of annual premium (including GST as applicable on the remaining premium amount) for all members of the scheme shall be borne by the Company.
- b) No separate registration fees shall be charged. However, it may be noted that the registration fees of the previous retired mediclaim scheme which was operational from 2018 onwards, will not be refundable.



## 7.0 PROCEDURE FOR MEMBERSHIP & RENEWAL:

### First Time Membership:

The Retired employees shall submit the application in the prescribed format together with the following documents on introduction of this scheme.

- i. Latest photographs of self and spouse (as applicable), self-certified - four copies.
- ii. Application form in duplicate
- iii. Self-declaration certifying that the member (retired employee/spouse) shall not claim same IPD Medical Bill/Expense from any other Policy of CPSEs/Govt. Department.

### 7.1 Renewal:

Each member shall submit the application in the prescribed format together with the following documents to HOD, HR Department along with a life certificate (self declaration) to renew membership in the said scheme every year (as and when intimated), failing which his/her membership shall cease to exist in the ensuing policy period.

- i. Latest photographs of self and spouse (as applicable), self-certified - four copies.
- ii. Application form in duplicate.
- iii. Self-declaration certifying that the member (retired employee/spouse) shall not claim same IPD Medical Bill/Expense from any other Policy of CPSEs/Govt. Department.

### 7.2 Cut-Off Date for submission of application:

The initial cut-off date for submission of application before start of policy period shall be intimated to the applicants by HR Division.

Subscribers who are desirous of joining the Policy mid-way between policy period shall make the requisite submission of the application (as described above) between 15<sup>th</sup> to 30<sup>th</sup> of the month prior to the month they want to join coverage and coverage for them will start from 15<sup>th</sup> of the next month. Example: If complete application is received anytime between 15<sup>th</sup> November to 30<sup>th</sup> November, then coverage shall begin w.e.f. 15<sup>th</sup> December.

## 8.0 GENERAL:

- 8.1 In case of any doubt arises regarding the genuineness or otherwise of the claims preferred by the retired employee, the company reserves the right to direct the beneficiary to present himself before a Medical Board which shall be constituted by HR department, MECL and that no reimbursement will be made till the recommendations of the Medical Board are received in this regard.
- 8.2 If, on reasonable belief or on the basis of recommendations of the Medical Board, it is found that there is misuse of the benefits under the Scheme by any beneficiary, he may be summarily debarred from the benefits under the Scheme.
- 8.3 The Company reserves the right to amend, modify the provisions of the Scheme. The amendments so made will be communicated to the retired employee or his/her spouse for regulation of their future claims.
- 8.4 In respect of any matter not covered herein, specific reference will be considered by Corporate HR Department for decision of the Competent Authority.
- 8.5 Chairman-cum-Managing Director, MECL may, from time to time, prescribe any form/forms to be

used for smooth functioning of the said Scheme.

8.6 In the event of any dispute arising out of or relating to under or in respect of this Scheme shall be subject to exclusive jurisdiction of the Court of Nagpur only.

8.7 Effective Date in relation to the Scheme shall be the date of approval by Board of Directors. Employee shall be cover in the scheme after becoming the member after payment of Subscription Fees (Annual premium share) as applicable.

**9.0 INTERPRETATION**

In case of any doubt about the provisions of this Scheme, the interpretation of the same by the Chairman-cum-Managing Director, MECL, shall be final.

**10.0 AMENDMENTS/MODIFICATIONS:**

The Chairman-cum-Managing Director may, at any time, depending upon the requirements of the Company modify/amend and/or alter any of the provisions of the Scheme and/or discontinue this scheme in the overall interest of the Company.

\*\*\*\*\*



## सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए एमईसीएल मेडिक्लेम योजना (पॉलिसी)-2022

### 1.0 योजना के उद्देश्य:

एमईसीएल के सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके पति/पत्नी को चिकित्सा लाभ प्रदान करना।

### 2.0 शामिल (कवर) किये जाने वाले कार्मिकगण

- क. (i) बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों को इस योजना में शामिल किया जाएगा, बशर्ते कि उन्होंने अधिवर्षिता के समय सीपीएसई में न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा की हो।
- (ii) बोर्ड स्तर के अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना (15 साल की सेवा के प्रावधान के बिना) के तहत उनके कार्यकाल के पूरा होने पर या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर, जो भी पहले हो, कवर किया जाएगा।
- ख. वे कर्मचारी जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है और उनके पति/पत्नी।
- ग. वे कर्मचारी जो स्थायी पूर्ण दिव्यंगताके कारण रोजगार में नहीं हैं और उनके पति/पत्नी।
- घ. सेवा के दौरान मृत कर्मियों के पति/पत्नी।
- ङ. कर्मचारी जो 60 वर्ष की आयु में कंपनी से सेवानिवृत्त हुए हैं और उनके पति/पत्नी।
- च. जो लोग 01.01.2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, वे इस योजना के सदस्य बनने के पात्र होंगे।
- छ. कर्मचारी जो किसी अन्य सीपीएसई से इस्तीफा देने/ग्रहण करने के बाद कंपनी के नियमित रोल में शामिल होते हैं, बशर्ते कि सीपीएसई में पिछली सेवा का कुल योग और सामान्य अधिवर्षिता की तारीख तक कंपनी में निरंतर प्रदान की गई सेवा 15 वर्ष या उससे अधिक हो।

यह योजना वैकल्पिक है और जो लोग इस योजना को चुनते हैं उन्हें "सदस्य" कहा जाता है।

### 3. करार अवधि

सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए एमईसीएल मेडिक्लेम योजना की अवधि एक वर्ष होगी और कंपनी द्वारा सामर्थ्य के अधीन हर साल नवीकरणीय होगी। (लागू करने की तिथि मानव संसाधन प्रभाग द्वारा अलग से अधिसूचित की जाएगी)।

### 4. पॉलिसी कवरेज

- क. एमईसीएल मेडिक्लेम योजना में पहले से मौजूद बीमारियों का कवरेज, चिकित्सा सदस्यता में प्रवेश करने के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी और पूर्व कर्मचारी आदि की सदस्यता के इनरोलमेंट/नवीनीकरण पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- ख. पॉलिसी में बीमाकृत व्यक्ति द्वारा अनुबंधित बीमारी/बीमारी या चोट के लिए पॉलिसी के तहत निर्धारित सीमा के भीतर अस्पताल में भर्ती/कैशलेस सुविधा व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल है। पॉलिसी के तहत किसी भी दावे के स्वीकार्य होने की स्थिति में, भारत में कहीं भी यथोचित और आवश्यक रूप से खर्च किए गए ऐसे खर्चों की राशि बीमा कंपनी बीमित सदस्य या अस्पताल को भुगतान करेगी, जैसा भी मामला हो। एमईसीएल मेडिक्लेम योजना के प्रयोजन के लिए पूर्व कर्मचारी और उसके पति/पत्नी को दो अलग-अलग सदस्यों के रूप में माना जाएगा।

#### • लाभ (मानक कवरेज सीमा):

श्रेणी	आईपीडी	ओपीडी
सेवानिवृत्त कार्यपालक एवं सेवानिवृत्त गैर-कार्यपालक	पति/पत्नीके साथ क्लबिंग सुविधा के साथ प्रति सदस्य प्रति वर्ष रु. 2.5 लाख रुपये की अधिकतम क्लब की गई रु. 05 लाख / पॉलिसी अवधि सीमा के अधीन सदस्य और पति/पत्नी का मेडिक्लेम जोड़ा जा सकता है।	शून्य

- ग. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस प्रतिपूर्ति की उपरोक्त सुविधा बीमा कंपनी द्वारा इंगित अस्पतालों की सूची के अधीन भारत के किसी भी हिस्से तक विस्तारित होगी।
- घ. प्रीमियम में थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (TPA) सिस्टम द्वारा दी जाने वाली सेवाएं शामिल हैं।
- ङ. दावा निपटान - एमईसीएल मेडिक्लेम योजना के तहत दावों का निपटान बीमा कंपनी द्वारा किया जाना है और अनुशंसित राशि का भुगतान सभी दावा दस्तावेजों को जमा करने के 15 दिनों के भीतर किया जाना है।
- च. किसी भी दावे के विवाद के मामले में, विवाद को हल करने के लिए बीमा कंपनी और एमईसीएल के प्रतिनिधियों की एक

समिति गठित की जाएगी। हालांकि, यह व्यवस्था सदस्यों को नियामक प्राधिकरणों से संपर्क करने से नहीं रोकती है।

- छ. मेडिकलेम सदस्यता का विकल्प चुनने वाले अपने पति या पत्नी सहित सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एमईसीएल मानव संसाधन, निगमिय कार्यालय द्वारा एक नंबर दिया जाएगा। इन नंबरों को मेडिकलेम इंडेक्स नंबर (मिन) कहा जाएगा।
- ज. एक बार वर्ष के लिए मेडिकलेम पॉलिसी सौंपे जाने के बाद, बीमा कंपनी को बीच में पॉलिसी के संचालन को एकतरफा समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- झ. बीमा कंपनी द्वारा पेश की जा रही बीमा कंपनी/टीपीए सेवाओं को एमईसीएल मेडिकलेम योजना के सदस्यों को पूरा करने के लिए 24 x 7 टेलीफोन सुविधा प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।

## 5.0 योजना का दुरुपयोग:

- क. किसी भी कपटपूर्ण गतिविधि के लिए प्रणाली का दुरुपयोग/दोषी पाए जाने वाले संबंधितजनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जैसे कि सदस्य को मेडिकलेम सदस्यता से वंचित करना, अस्पतालों को ब्लैकलिस्ट करना, उपयुक्त कानूनी कार्रवाई शुरू करना आदि, जैसा कि एमईसीएल प्रबंधन द्वारा उचित समझा जाएगा।

## 6.0 वार्षिक सदस्यता शुल्क (वार्षिक प्रीमियम शेयर) का भुगतान किया जाना है:

- क. योजना के सदस्य पॉलिसी अवधि के तहत कवरेज शुरू होने से पहले वार्षिक प्रीमियम का 50% (लागू जीएसटी सहित) का 50% अग्रिम भुगतान करके वार्षिक प्रीमियम की लागत का 50% वहन करेंगे। सदस्यों द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि की सूचना मानव संसाधन प्रभाग द्वारा सदस्य/सदस्यों को पॉलिसी अवधि शुरू होने से पहले दी जाएगी। योजना के सभी सदस्यों के लिए वार्षिक प्रीमियम की लागत का शेष 50% (शेष प्रीमियम राशि पर लागू GST सहित) कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।
- ख. कोई अलग पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, यह ध्यान दिया जाए कि पिछली सेवानिवृत्त मेडिकलेम योजना का पंजीकरण शुल्क जो 2018 से चालू था, वापस नहीं किया जाएगा।

## 7.0 सदस्यता और नवीनीकरण के लिए प्रक्रिया:

### प्राथमिक सदस्यता:

इस योजना के प्रारंभ होने पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

- i. स्वयं और पति/पत्नी की नवीनतम तस्वीरें (यथा लागू), स्व-प्रमाणित - चार प्रतियाँ।
- ii. दो प्रतियों में आवेदन पत्र
- iii. स्व-घोषणा प्रमाणित करना है कि सदस्य (सेवानिवृत्त कर्मचारी / पति/पत्नी) सीपीएसई / सरकारी विभाग की किसी भी अन्य पॉलिसी से समान आईपीडी मेडिकल बिल/ व्यय का दावा नहीं करेगा।।

### 7.1 नवीनीकरण:

प्रत्येक सदस्य प्रत्येक वर्ष उक्त योजना में सदस्यता को नवीनीकृत करने के लिए एक जीवन प्रमाण पत्र (स्वघोषणा) के साथ प्रभाग प्रमुख, मानव संसाधन प्रभाग को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करेगा, जिसमें विफल होने पर उसका/उसकी आगामी पॉलिसी अवधि में सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

- i. स्वयं और पति/पत्नी की नवीनतम तस्वीरें (यथा लागू), स्व-प्रमाणित - चार प्रतियाँ।
- ii. दो प्रतियों में आवेदन पत्र।
- iii. स्व-घोषणा प्रमाणित करना है कि सदस्य (सेवानिवृत्त कर्मचारी /पति/पत्नी) सीपीएसई/सरकारीविभागकी किसी भी अन्य पॉलिसी से समान आईपीडी मेडिकल बिल / व्यय का दावा नहीं करेगा।

### 7.2 आवेदन जमा करने की कट-ऑफ तिथि:

पॉलिसी की अवधि शुरू होने से पहले आवेदन जमा करने की प्रारंभिक कट-ऑफ तारीख मानव संसाधन प्रभाग द्वारा आवेदकों को सूचित की जाएगी।



जो सब्सक्राइबर पॉलिसी अवधि के बीच में पॉलिसी में शामिल होने के इच्छुक हैं, वे जिस महीने में कवरेज में शामिल होना चाहते हैं, उससे पहले महीने की 15 से 30 तारीख के बीच आवेदन (जैसा कि ऊपर वर्णित है) आवश्यक रूप से जमा करना होगा और उनके लिए कवरेज अगले महीने की 15 तारीखसे शुरू होगा। उदाहरण: यदि पूरा आवेदन 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच कभी भी प्राप्त होता है, तो कवरेज 15 दिसंबरसे शुरू हो जाएगा।

## 8.0 सामान्य:

8.1 सेवानिवृत्त कर्मचारीद्वारा किए गए दावों की वास्तविकता या अन्यथा के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होने की स्थिति में, कंपनी मानव संसाधन, एमईसीएल द्वारा एक मेडिकल बोर्ड के गठनसे पहले लाभार्थी को स्वयं को पहले उपस्थित होने का निर्देश देने का अधिकार सुरक्षित रखती है और इस संबंध में मेडिकल बोर्ड की सिफारिशें प्राप्त होने तक इसकी कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

8.2 यदि उचित विश्वास पर या मेडिकल बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर यह पाया जाता है कियदि किसी लाभार्थी द्वारा योजना के अंतर्गत लाभों का दुरुूपयोग किया जाता है, तो उसे सरसरी तौर पर योजनान्तर्गत लाभ से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

8.3 कंपनी योजना के प्रावधानों में संशोधन, योजना के प्रावधानों में संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा संशोधन किए जाने की सूचना सेवानिवृत्त कर्मचारी या उसके पति/पत्नी को उनके भविष्य के दावे नियमन के लिए दी जाएगी।

8.4 यहां कवर न किए गए किसी भी मामले के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के लिए निगमीय मानव संसाधन प्रभाग द्वारा विशिष्ट संदर्भ पर विचार किया जाएगा

8.5 अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एमईसीएल समय-समय पर उक्त योजना के सुचारू संचालन के लिए उपयोग हेतु किसी भी प्रपत्र/प्रपत्रों को निर्धारित कर सकते हैं।

8.6 इस योजना के तहत या इसके संबंध में या उससे संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में केवल नागपुर न्यायालय के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन निर्णय मान्य होगा।

8.7 योजना के संबंध में प्रभावी तिथि निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तिथि होगी। अंशदान शुल्क (वार्षिक प्रीमियम शेयर) के भुगतान के बाद सदस्य बनने के बाद कर्मचारी इस योजना में शामिल होगाजैसा लागू हो।

## 9.0 व्याख्या

इस योजना के प्रावधानों के बारे में किसी भी संदेह के मामले में, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एमईसीएल द्वारा इसकी व्याख्या अंतिम होगी।

## 10.0 संशोधन/परिवर्तन:

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक किसी भी समय, कंपनी की आवश्यकताओं के आधार पर योजना के किसी भी प्रावधान को संशोधित/परिष्कृत और/या बदल सकते हैं और/या कंपनी के समग्र हित में इस योजना को बंद कर सकते हैं।

नोट- पॉलिसी के हिन्दी संस्करण में विसंगति के मामले में अंग्रेजी संस्करण का पॉलिसी ही मान्य होगा।

\*\*\*\*\*